सं.12019/04/2016-रा.भा.(शिका.)/अन्य शिका.-4

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
दिनांक:- 15 अक्तूबर, 2016.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा राजभाषा का प्रशिक्षण ।

इस विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक गैर-सरकारी संस्थाएं केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के नाम पर महंगे शिविरों व कार्यशालाओं का आयोजन कर रही हैं तथा विज्ञापन के माध्यम से धन अर्जित कर रही हैं । इस विषय पर यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी गैर-सरकारी संस्था राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पर्याप्त प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को नि:शुल्क विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं **(www ctb.rajbhasha.gov.in** और **www.chti.rajbhasha.gov.in)**। राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार सभी कार्यालय/बैंक/उपक्रम इत्यादि अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं । राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा **(www.rajbhasha.gov.in)** उपलब्ध है। अत: राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना वांछनीय नहीं है ।

ऐसी स्थिति में किसी भी गैर-सरकारी संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले तथा कथित प्रशिक्षण शिविर, चिंतन शिविर व कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राजभाषा के प्रचार के नाम पर भाग लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । सभी विभागाध्यक्ष कृपया इस विषय पर जिम्मेदारी समझते हुए समुचित कदम उठाएं।

(बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय।विभाग ।

विभाग के सभी अधिकारी /अनुभाग/ प्रभाग